अध्याय – तीन

लेनदेन लेखापरीक्षा

v/;k; rhu : ysunsu ys[kkijh{kk

iapk;r ,oa xzkeh.k fodkl foHkkx

3-1 fu;eksa vkSj fofu;eksa dk vuqikyu u fd;k tkuk

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप हो ।इससे न केवल अनियमितताओं, दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी पर रोक लगती है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने में सहायता भी मिलती है ।नियमों और विनियमों का अनुपालन न होने पर प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :

3-1-1 ys[kkijh{kk ds ifjiz{; esa olwyh

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh] ftyk iapk;r] 'kktkiqj }kjk QeZ ls lhM xzsfMax e'khu dh vf/kizkfIr ds vkiwfrZ vkns'k ds fo:)] i;kZIr lqj{kk ds :i esa cSad xkjaVh vkfn lqfuf'pr fd, fcuk] QeZ dks ₹ 11 yk[k dk vfxze Hkqxrku fd;k x;k A QeZ }kjk 6 o"kksZa ls vf/kd le; O;rhr gks tkus ij Hkh vis{kr oLrqvksa dh vkiwfrZ ugha dh xbZ A ys[kkijh{kk }kjk bafxr fd, tkus ij ₹ 11 yk[k dh olwyh dh xbZ A

मध्य प्रदेश पंचायत (सामग्री एवं माल का क्रय) नियम, 1999 के नियम 3 के अनुसार पंचायत ₹ 15,000 से अधिक लागत के माल और सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित करेगी ।सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के नियम 159(1) के अनुसार दी गई सेवाओं या आपूर्तियों का भुगतान सामान्यतया केवल सेवा प्रदायगी या आपूर्ति उपरांत किया जाना चाहिए ।कोई भी अग्रिम भुगतान करते समय फर्म से पर्याप्त सुरक्षा के रूप में बैंक गारंटी आदि प्राप्त की जानी चाहिए ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया (जून 2014) कि जिला पंचायत ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की अधोसंरचना मद के अंतर्गत ₹ 16.02 लाख की लागत की सीड ग्रेडिंग मशीन के आपूर्ति आदेश एक फर्म को जारी किए (जुलाई 2008) ।आगे, जिला पंचायत ने सीड ग्रेडिंग मशीन के संलग्नक के लिए एक अन्य आपूर्ति आदेश जारी किया (जुलाई 2008) । ये आपूर्ति आदेश बिना निविदाएं आमंत्रित किए प्रदाय किए गए ।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने फर्म को दोनों आपूर्ति आदेशों के विरूद्ध ₹ 11 लाख का अग्रिम भुगतान जारी किया । तथापि, फर्म को अग्रिम भुगतान करते समय, पर्याप्त सुरक्षा के रूप में फर्म से बैंक गारंटी आदि प्राप्त नहीं की गई थी ।

हमने आगे पाया कि फर्म को कई नोटिस जारी करने के बावजूद, 6 वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने पर भी, फर्म द्वारा अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई । जिला पंचायत द्वारा फर्म को जारी नोटिस, फर्म पर ताला लगा पाया गया, की टिप्पणी के साथ मूलतः वापिस प्राप्त हुआ था ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन द्वारा बताया गया कि जुलाई 2015 में फर्म से ₹ 11 लाख प्राप्त कर लिए गए थे और योजना निधि मे जमा करा दिए गए थे । शासन ने आगे बताया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मध्य प्रदेश पंचायत नियम, 1999 का पालन नहीं किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग भी की जा रही थी ।

तथ्य यह है कि फर्म से पर्याप्त सुरक्षा के रूप में बैंक गारंटी आदि प्राप्त किए बिना अग्रिम के भुगतान के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कोई जवाबदेही तय नहीं की गई थी ।